

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ राजस्थान

क्रमांक:-जिशिअ/हनु/प्रा०/मान्यता/2012/ | ८६२

दिनांक:- २०/५/२०१३

**प्रबन्धक****कृष्ण शिक्षण संस्थान २५एनटीआर****तह: नोहर जिला हनुमानगढ़**

**विषय:-**निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18  
के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010  
के नियम ॥ के उप नियम (4)के अधीन विधालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

**महोदय/महोदया,**

आपके दिनांक 20.9.2011 के आवेदन और इस संबंध में विधालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निश्चय के प्रतिनिदेश कृष्ण पब्लिक स्कूल २५एनटीआर (आयोजी मान्यता) तह को नोहर को दिनांक 12/2/2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा १ से ४ कक्षा तक के लिये अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित रूपों को पूरा किये जाने के अध्यधीन है।

1. मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा ४ के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2. विधालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(उपांचं 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपांचं 2) के उपबंधों का यालना करेगा।

3. विधालय कक्षा १ में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4. पैरा-3में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विधालय को अधिनियम की धारा-12(2)के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विधालय एक पृथक बैक खाता रखेगा।

5. सोसायटी/विधालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलरिश विद्यार्थी के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विधालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाणन होने के कारण प्रवेश देने से इकाऊ नहीं करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान, धर्म, जाति या आज्ञाति या इनमें किसी एक उपलब्ध/निर्धारित आधार पर उत्तरवर्ती, चाहा गया है।

7. विधालय सुनिश्चित करेगा कि:-

- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विधालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विधालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या भानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
- (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-23 के अधीन अधिकारित किए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (5) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्तता प्रस्तॄ/विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का स्मावेश किया जाना।
- (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1)के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु और यह कि विद्यालय उपरोक्त जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के नियम-23 के न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें।
- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1)के अन्तर्गत निम्नलिखित मान्यता कर्तव्यों का पालन करता है, और

Principal  
Kamlesh  
Public School  
Hanumangarh